

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025

प्रेस विज्ञप्ति

सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाया, जो 31 जुलाई 2025 तक दाखिल करने के लिए नियत थी (इसे पहले ही 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था)

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 को नियत थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए इन आईटीआर को दाखिल करने की नियत तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।

इस आशय हेतु एक औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

(वी. रजिता)

आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी